पत्रांक-1872
अधिनियम,
ति वाद
वेदन
श्री

प्रपत्र सं0-563

| टिप्पणी | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| | 2 | 3 |

अभिलेख उपस्थापित।

श्री रतन लाल भगत पिता स्व0 मुनी लाल भगत, निवास स्थान ग्राम-ओकनी, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-कर्वेखुर्द, थाना नं0-172, खाता संख्या-13, प्लॉट संख्या-423 एवं 424, रकवा क्रमशः 0.03 एकड़ एवं 0.05 एकड़ कुल रकवा 0.08 एकड़ (08 डिसमिल) (आठ डिसमिल) भूमि उपेन्द्र कुमार दास पिता भेखलाल राम, निवास स्थान ग्राम-जम्बुआ, पोस्ट-करियातपुर, थाना-दारू, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं भूमि संबंधी कागजात संलग्न करते हुए ऑनलाईन आवेदन Acknowledgement No.-RCMSON22017812 समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-256/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 1189/रा0 दिनांक 11.03.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 1872 दिनांक 21.11.2022 से जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन, ट्रेस नक्शा एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार -

क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि पट्टा से हासिल है। खतियान के अनुसार प्रश्नगत् भूमि रैयती खाते की है। खतियानी रैयत भगुलाल वगैरह हैं। पंजी-II अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकवा 3.65 एकड़ भूमि है। पंजी-II के पृष्ठ संख्या-94/III पर शीतल राम के नाम से जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2020-21 तक निर्गत् हैं। आवेदक के जमाबंदी रैयत से दादा पोता का संबंध हैं। भूमि संयुक्त खाते की है। आवेदक घरेलु बँटवारा के अनुसार अपने हिस्से की भूमि बिक्री कर रहे हैं। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् रकवा 3.57 एकड़ भूमि संयुक्त खाते में बचता हैं। आवेदक को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत् भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| | प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है। | |
| | अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है। | |
| | उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में श्री रतन लाल भगत पिता स्व0 मुनी लाल भगत, निवास स्थान ग्राम-ओकनी, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-कर्वेखुर्द, थाना नं0-172, खाता संख्या-13, प्लॉट संख्या-423 एवं 424, रकवा क्रमशः 0.03 एकड़ एवं 0.05 एकड़ कुल रकवा 0.08 एकड़ (08 डिसमिल) (आठ डिसमिल) भूमि उपेन्द्र कुमार दास पिता भेखलाल राम, निवास स्थान ग्राम-जम्बुआ, पोस्ट-करियातपुर, थाना-दारू, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। | |
| | लेखापित एवं संशोधित<br><br>अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।      अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग। | |

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2022.12.22 16:35:25 +05:30
Location: 192.168.147.214